न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
18/2016	21.10.2016	90 अ सपठित धारा 91 एल.आर.एक्ट	27.02.2017

सरकार बनाम अरूण सिंह पुत्र मनफूलसिंह जाति जाट निवासी हीरो होण्डा शोरूम उदयपुरवाटी

27.02.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिकमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का इन्द्रपुरा सम्वत 2073 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम इन्द्रपुरा की भूमि ख0न0 1100/669 रकबा 0.06 है0 किस्म भूमि बानी मे से रकबा 0.0312 है0 में अरुण सिंह पुत्र मनफूलसिंह जाति जाट निवासी हीरो होण्डा शोरूम उदयपुरवाटी ने पुख्ता निर्माण कर अतिकमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का इन्द्रपुरा के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 90 अ सपठित धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धारा 90 अ सपठित धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये। जिस पर अतिकमीगण उपस्थित रहे एवं जवाब नोटिस पेश किया । उक्त भूमि अतिकमी के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का इन्द्रपुरा एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण अवैध है चूंकि गैरसायल ने बिना अनुमति भूमि पर कृर्षि से अकृर्षि में उपयोग लिया जाकर निर्माण किया है । अतः गैरसायल रा0लै0रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 90 अ की सपठित धारा 91 के तहत जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का से बेदखल किये जानें के आदेश दिये जातें है । पटवारी हल्का को लिखा जावे की अतिकमीगण को अतिकमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें ।

अतिकमी द्वारा भुमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.16 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 8/- अक्षरे आठ रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 27.02.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

तहसीलदार उदयपुरवाटी

रजिस्टर व वर्ष 2016-17 के पृष्ठ 4 ... 08 ... कायमी की गई ... रुपये ... लेखाकार